चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय एवं उनकी टीम द्वारा कुल्हाड़ी से हमला करने वाले अभियुक्त विष्णु पुत्र चुन्नू प्रसाद निवासी ग्राम गौंड़ा मजरा मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को मय एक अदद कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.06.2026 को वादी शिवमूरत पुत्र सुरिजपाल वर्मा निवासी गौड़ा मजरा मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बहिलपुरवा में सूचना दी गयी कि 15-6-2026 को रात्रि के समय मडैयन गाँव का ही लडका विष्णु पुत्र चुन्नू प्रसाद उम्र 19 वर्ष शराब के नशे में गाली देने लगा, मना करने पर कुल्हाडी लेकर आया और घर के बाहर लेटे हुए वादी के बड़े भाई के सिर में कुल्हाडी से वार कर दिया जिससे वादी के बड़े भाई राममूरत पुत्र सुरिजपाल उम्र लगभग 36 वर्ष को सिर में काफी चोटें आना तथा बीच बचाव में वादी को भी चोट आना । इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु.अ.सं. 32/2026 धारा 109(1),118(1),352 बीएनएस बनाम विष्णु पुत्र चुन्नू प्रसाद निवासी ग्राम गौड़ा मजरा मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

आज दिनाँक 17.06.2026 को उ0नि0 दिनेश कुमार पाण्डेय एवं उनकी टीम ने अभियुक्त विष्णु पुत्र चुन्नू प्रसाद निवासी ग्राम गौड़ा मजरा मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को मय एक अदद कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय

2.आरक्षी सतीश यादव

3.आरक्षी राहुल यादव

4.आरक्षी विकास गुप्ता

5.महिला आरक्षी शिमला देवी

(3). आज दिनाँक 17.06.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री यामीन अहमद की उपस्थिति में थाना कोतवाली कर्वी में सर्किल नगर के थाना कोतवाली कर्वी,महिला थाना,थाना भरतकूप एवं थाना बहिलपुरवा के समस्त विवेचकों का अर्दली रुम किया गया । अर्दली रूम में वर्ष 2024,2025 एवं 2026 के लंबित विवेचनाओं, सभी अहकामात, E-साक्ष्य, E–summon, iRAD/Edar, वारंटी की गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्यवाही, यातायात प्रवर्तन की कार्यवाही, IGRS का निस्तारण व सफल जनसुनवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अर्दली रुम के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह,प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,महिलाथानाध्यक्ष नीलम देवी,चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह एवं अन्य समस्त विवेचक उपस्थित रहे।